



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 981 वर्ष 2026

पुष्पेंद्र सिंह

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता:	:	देव प्रकाश शर्मा, प्रियंका देवी
विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

—
न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह, राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

यह ज़मानत अर्ज़ी अभियुक्त-आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 474/2025 में ज़मानत पर रिहाई की मांग की गई है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 352, 351(2) और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत, पुलिस थाना कोतवाली नगर, ज़िला महोबा में दर्ज है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है और उसे इस केस अपराध संख्या में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि प्राथमिकी में आवेदक के विरुद्ध केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने निवेदन किया कि आवेदक के कब्जे से कथित रूप से बरामद की गई एक देसी पिस्तौल और एक जीवित कारतूस की बरामदगी फर्जी है और पुलिस द्वारा जानबूझकर रखी गई है। उन्होंने निवेदन किया कि उक्त अपराध में आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। उन्होंने निवेदन किया कि कथित घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़ित के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं दिखाई गई है और सभी चोटें सामान्य प्रकृति की हैं। आवेदक दिनांक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



09.10.2025 से जेल में निरुद्ध है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः, जमानत दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़ोरदार विरोध किया, किंतु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

उपर्युक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए—किंतु मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना—जमानत का एक मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

आरोपी-आवेदक, **पुष्पेंद्र सिंह**—जो उपर्युक्त केस अपराध संख्या में शामिल है—को जमानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो विश्वसनीय जमानतें प्रस्तुत करनी होंगी। यह रिहाई निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं, और विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसके अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट न दे दी गई हो।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय को उसकी जमानत रद्द करने की कार्यवाही करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी।

16 जनवरी, 2026

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

Translated Version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।